HEAD OFFICE

Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board

46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,

Dehradun (Uttarakhand)

UTTARAKHAND

UEPPCB

Action Taken Report

Original Application No. 294 of 2020

In compliance of order dated 22.12.2020

of the

Hon'ble National Green Tribunal,

Principal Bench,

New Delhi

Action Taken Report

In the matter of

Original Application No. 294 of 2020

Dr. Chaitanya Bhandari & Anr. (Applicant)

Vs

Uttarakhand Pollution Control Board (Respondent)

In compliance of the order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 22.12.2020, Joint Inspection was carried out by State Pollution Control Board with Executive Officer, Nagar Panchayat, Gairsain, Chamoli and Nayab Tehsildar,Gairsain,Chamoli on dated 07.04.2021.The inspection report is as **Annexure-1.**

The findings of the Joint Inspection Report are as follows:

1. The population of Nagar Panchayat, Gairsain, District-Chamoli is 8665 with seven municipal wards and total area of 7.528 square kilo meter.

2. About 1.0 MT solid wastes is generated per day. 40 no's Dust bins have been made for separate biodegradable and non-bio degradable waste collection. Nagar panchayat has installed Plastic Compactor Machine and is being used to compact of plastic waste and also received Rs 28316.00 from October 2020 to till date from selling of plastic waste. Door to door collection of solid is being done.

3. Nagar Panchayat has 17-man powers, 01 Trucks, 25 Nos of hand trolly for collection and transportation of solid wastes.

4. The collected solid waste is being disposed unscientific manner at Chakta Village which is 48 meters away from Ramganga river. During inspection, Nagar panchayat has made boundary wall with seven feet GI Sheet around the premises to avoid direct disposal in river.

7. It is informed by Executive Officer of Nagar Panchayat, that new site for solid waste processing and disposal facility has been transfer by State of Uttrakhand to Urban Development Department vide letter no 296/XVIII(II)/2021 Dated 19/03/2021 and the scientific disposal work will be initiated after land transfer to Nagar Panchayat Gairsain. (**Annexure-2**).

.....

संलग्नक - 01

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 294/2020, डा0 चैतन्य भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य मैं दिनांक 22–12–2020 को पारित आदेश में चंगता गॉव के समीप ठोस अपशिष्ट पदार्थो के निर्वहन के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या :–

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0 यू0के0पी0सी0बी0/एच.ओ./सा0 –183 /496 /5673– 1137 दिनांक 28–12–2020 के अनुपालन में आज दिनांक 07–04–2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में श्री गुरुदीप लाल आर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गैरसैण, श्री राकेश पल्लव नायब तहसीलदार तहसील गैरसैण जिला चमोली श्री राकेश कण्डारी सहायक पर्यावरण अभियन्ता व सुनिल डबराल अनुश्रवण सहायक, यू0के0पी0सी0बी0 देहरादून उपस्थित थे। निरीक्षण के समय निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

1– नगर पंचायत गैरसैण का गठन उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग –1 के पत्रांक संख्या 1199/iv(1)/2011-01(घोषणा)/2008 देहरादून दिनांक 08 दिसम्बर 2011 16 गॉव मिलाकर हुई है, जिसमें निकाय के प्रथम बोर्ड का गठन वर्ष 2013 में हुआ जिसके अन्तर्गत कुल सात वार्ड हैं।

2– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गैरसैण द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस निकाय की जनसंख्या 8665 है।

3– नगर पंचायत गैरसैण का कुल क्षेत्रफल 7.528 वर्ग किमी0 है।

4– नगर पंचायत परिक्षेत्र में कुल 1.0 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट जनित होता है। जिसमें जैविक व अजैविक दोनो प्रकार का अपशिष्ट है पंचायत द्वारा माह अक्तूबर 2020 से वर्तमान तक प्लास्टिक अपशिष्ट को बेचकर रूपये 28,316.00 (अठाइस हजार तीन सौ सौलह)की आय अर्जित की जा चुकी है। निकाय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा प्राप्त धनराशि से कम्पैक्ट मशीन लगाई गई है, जिससे प्लास्टिक कूडे को कम्पैक्ट कर प्लास्टिक की सिल्लियॉ (किलॉक)बनाई जा रही है।

5– नगर पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट डोर टू डोर एकत्रीकरण किया जा रहा है।

6– नगर पंचायत क्षेत्र की सफाई हेतु 17 कर्मचारी(निकाय ढांचा के अनुसार) आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत है।

7– नगर पंचायत द्वारा जनहित में ठोस अपशिष्ट के परिवहन हेतु एक बडा ट्रक 709 माडल एवं एक ट्रोला व 25 हाथ ट्रालियॉ उपलब्ध है।

8– नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 40 डस्टबीन ठोस अपशिष्ठ एकीत्रण हेतु नगर पचायत क्षेत्र में लगाये जिसमें जैविक एवं अजैविक कूडा अलग – अलग एकत्रित किया जाता है।

रहा है उक्त डम्पिंग साइड पर ठोस अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक विधि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम – 2016 के अनुसार नही होता पाया गया है, उक्त स्थल रामगंगा नदी से लगभग 48 मीटर दूरी पर स्थित है।

10– निरीक्षण के समय किसी भी तरह का ठोस अपशिष्ट रामगंगा नदी में नही पाया गया। ठोस अपशिष्ट की रोकथाम हेतु नगर पंचायत गैरसैंण द्वारा सुरक्षा दीवार एवं सात फिट ऊँचाई के जी0आई0सीट की बैरीगैटिंग लगाई गई है।(फोटो संलग्न)

11– अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है, कि नगर पंचायत क्षेत्र गैरसैंण में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन / कूडा निस्तारण हेतु जनपद चमोली के तहसील गैरसैंण अन्तर्गत ग्राम कोलियाणा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गैरसैंण की ख0खा0 सं0 –02 के खसरा संख्या –424 कुल रकवा 2.750 है0 भूमि मध्ये 0.201 है0 भूमि है। उत्तराखण्ड शासन के पत्राक संख्या 296/ XVIII(II)/2021-18(8)/2021 राजस्व अनुभाग –2 देहरादून दिनांक 19 मार्च 2021 के द्वारा राज्य सरकार की भूमि शहरी विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु जिला अधिकारी चमोली को निर्देशित किया गया है। (पत्र सलग्न) मुनि नगर पंचायत गैरसैंण जिला चमोली के नाम दर्ज होने पर कूडा डम्पिंग यार्ड चयनित स्थान पर स्थान्तरित कर नियमो के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जायेगा।

अतः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(सुनिल डबराल)
अनुश्रवण सहायक
यू0के0पी0सी0बी0
देहरादून

(गुरूदीप लाल आर्य)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत
गैरसैंण – चमोली

(राकेश पल्लव)
नायब तहसीलदार
तहसील गैरसैंण

(राकेश कण्डारी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
यू0के0पी0सी0बी0
देहरादून

सलग्नक-01

संख्या– /XVIII(II)/2021–18(8)/202

प्रेषक,

डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

डाक प्राप्ति
सं0– 322
दिनांक– 30/03/2021

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 19 मार्च, 2021

विषयः–मा0 हरित अभिकरण में योजित मूल वाद संख्या–294/2020 में पारित आदेश दिनाक 22 दिसम्बर, 2020 के क्रम में जनपद चमोली के अन्तर्गत नगर पंचायत क्षेत्र गैरसैंण में ठोस अपशिष्ट/कूड़ा निस्तारण हेतु 0.201 है0 राज्य सरकार की भूमि शहरी विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3683/छब्बीस–18(2020–2021), दिनांक 18 फरवरी, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत क्षेत्र गैरसैंण में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/कूड़ा निस्तारण हेतु जनपद चमोली के तहसील गैरसैंण अन्तर्गत ग्राम कोलियाणा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गैरसैंण की ख0खा0सं0–02 के खसरा सं0–424 कुल रकबा 2.750 है0 भूमि मध्ये 0.201 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ग पशुचर एवं चराई की भूमिया के रूप में दर्ज अभिलेख है, को शहरी विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में आख्या/प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत क्षेत्र गैरसैंण में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन/कूड़ा निस्तारण हेतु जनपद चमोली के तहसील गैरसैंण अन्तर्गत ग्राम कोलियाणा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गैरसैंण की ख0खा0सं0–02 के खसरा सं0–424 कुल रकबा 2.750 है0 भूमि मध्ये 0.201 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ग पशुचर एवं चराई की भूमियां के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7)/50(39)/2015/2014, दिनांक 09 जुलाई, 2015, शासनादेश संख्या–1887/XVIII(II)/2015–18(159)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020–8(63)2016, दिनांक 28 जुलाई, 2020 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय शहरी विकास विभाग के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन की सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

.....2

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन् संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(9) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भू–व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रस्तावित भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का गौचर के रूप में 5% बनाये रखना आवश्यक होगा।

(12) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

भवदीय,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्या–296/XVIII(II)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, गैरसैंण।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।